भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 628
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई की स्थिति

628. श्री सुधाकर सिंह:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और संपूर्ण देश में उक्त योजना के अंतर्गत समर्थित उद्यमों की संख्या क्या है;

(ख) बिहार में, बक्सर और कैमूर जैसे दक्षिण बिहार के जिलों के विशेष संदर्भ में औपचारिक रूप से स्थापित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या क्या है साथ ही आवंटित और उपयोग की गई निधि क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले दक्षिण बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और विकस को बढ़ावा देने के लिए की गई/की जा रही विशिष्ट पहल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इन क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत उद्यमियों को वित्तीय सहायता पाने और क्षमता निर्माण सहायता प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): 31 जनवरी 2025 तक देश भर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-I** में है ।

(ख): पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य को 31 जनवरी 2025 तक 212.89 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है । योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता के लिए कुल 20,297 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं । इनमें से राज्य में 3,674 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक रूप दिया गया है, जिनमें बक्सर और कैमूर जिलों में क्रमशः 123 और 33 शामिल हैं ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित

"प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2025-26 तक चालू है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत भावी उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

(घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों/उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) नियुक्त किए गए हैं । डीआरपी लाभार्थियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, बैंक ऋण हासिल करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, इकाइयों के उन्नयन, आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने, स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने आदि में सहायता करते हैं। पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अनुशंसित सभी आवेदकों अर्थात व्यक्तियों और समूहों (एसएचजी/एफपीओ/सहकारिता) के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे पीएमएफएमई योजना के तहत प्रारम्भिक पूंजी के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) लाभार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 06.02.2025 को "पीएमएफएमई की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 628 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के तहत की गई प्रगति का विवरण (31 जनवरी 2025 तक) निम्नानुसार है

i) **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:** 1,22,512 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 96,998 ऋण वितरित किए गए हैं।

ii) **प्रारंभिक पूंजी:** 3,13,218 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए 1042.07 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

iii) **क्षमता निर्माण:** योजना के अंतर्गत 672 मास्टर प्रशिक्षक, 1132 जिला स्तरीय प्रशिक्षक और 92,677 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है

iv) **इन्क्यूबेशन सेंटर:** 206.94 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ 76 इन्क्यूबेशन सेंटरों को मंजूरी दी गई। इनमें से 16 इन्क्यूबेशन सेंटर चालू हो चुके हैं।

v) **मार्केटिंग और ब्रांडिंग:** योजना के तहत कुल मिलाकर 17 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। विपणन और ब्रांडिंग के लिए 15 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है जिसमें आसना (पंजाब), भीमथडी (महाराष्ट्र), सीमी (कर्नाटक), भीमा दालें (कर्नाटक), मदुगुला हलवा (आंध्र प्रदेश), आमोदम (आंध्र प्रदेश), जीविका (बिहार) , उमेद (महाराष्ट्र), टेमी टी (सिक्किम), पुदुगई (तमिलनाडु) और नीथल (पुडुचेरी), इंडिया कॉफ़ी (कर्नाटक), जस्ट प्योर (हरियाणा), गोवन (गोवा), सिक्किम सुप्रीम (सिक्किम) शामिल हैं। नेफड़ के साथ 2 राष्ट्रीय गठजोड़ किये गए।

*****

अनुबंध - II

दिनांक 06.02.2025 को "पीएमएफएमई की स्थिति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 628 केभाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) *वैयक्तिक व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) *सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर उपयोग हेतु अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कीपरिकल्पना की गई है।

*****